कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67 अंक : 9 पृष्ठ : 56 जुलाई 2021 मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण अवसंरचना

अब उपलब्ध है...

प्रकाशन विभाग

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)

तथा

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च

का प्रकाशन

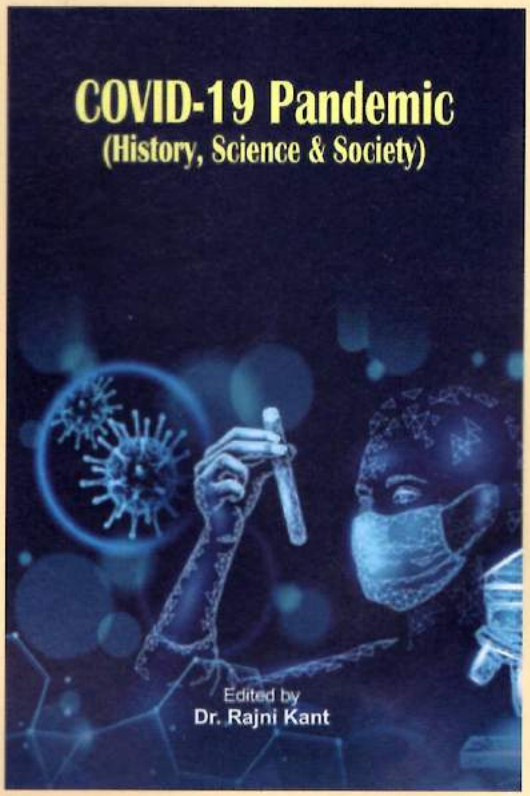

मूल्य - ₹ 215/-

कोविड-19 पेंडेमिक

(हिस्ट्री, साइंस एंड सोसाइटी)

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609

ई-मेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 67 ★ मासिक अंक : 9 ★ पृष्ठ : 56 ★ आषाढ़–श्रावण 1943 ★ जुलाई 2021

सुदृढ़ बुनियादी ढांचे से ग्रामीण भारत का विकास 5
–डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 10
–डॉ. के.के. त्रिपाठी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा 16
–डॉ. नीलम पटेल और रणवीर नगाइच

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : समृद्धि की ओर 20
–डॉ. देवव्रत सामंत

ग्रामीण भारत की मज़बूत होती बुनियाद 26
–देविका चावला

मनरेगा से गांवों का कायाकल्प 31
–अरविंद कुमार सिंह

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विस्तार 35
–समीरा सौरभ

मानव संसाधन विकास 39
–विजय प्रकाश श्रीवास्तव

ग्रामीण अवसंरचना विकास हेतु समावेशी मॉडल 43
–डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद

2022 तक उत्तर-पश्चिम भारत में सभी घरों में नल से जल 49

मिशन बीरी सखी : हर घर तक बैंक सुविधा 52
–अभिषेक आनंद

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

उत्पादन अधिकारी : के. रामालिंगम

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति : ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,
द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही पत्रिका प्राप्त न होने की शिकायत करें।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

संपादकीय

"मैं जानता हूं कि आदर्श ग्राम निर्माण का काम उतना ही कठिन है जितना कि सारे हिंदुस्तान को आदर्श बनाना। स्वतंत्र भारत के सामने सबसे मुख्य समस्या उसके नवनिर्माण की है। चूंकि भारत गांवों में बसता है इसलिए बिना गांवों को उन्नत किए देश का उठना कठिन है।" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कई दशकों पहले का यह कथन आज भी प्रासंगिक है। ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और उसके नवनिर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बेहद जरूरी है।

निःसंदेह किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता किसी देश की प्रगति का मापदंड होती है। बुनियादी ढांचा निजी और सार्वजनिक, भौतिक और सेवाओं संबंधी और सामाजिक व आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। आर्थिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बिजली, सिंचाई और इसी तरह की अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सामाजिक अवसंरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि आते हैं।

आवागमन हेतु बेहतर सड़कों की उपलब्धता किसी भी शहर, ज़िला या गांव की अर्थव्यवस्था की धुरी है और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। इसके जरिए माल और कृषि पदार्थों की ढुलाई, पर्यटन और संपर्क जैसे कई महत्त्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। देश में सभी मौसमों में चालू रहने वाले मज़बूत सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देने से तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ–साथ, व्यापार के सुचारू रूप से संचालन तथा देश भर के बाज़ारों के समन्वयन में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 से लागू है और दूरदराज के इलाकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।

ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा। मौजूदा कोरोना संकट में भी ग्रामीण भारत के लिए जो योजना वरदान बनी, वह भी 'मनरेगा' ही है। शहरों से पलायन कर गांवों में लौटे लाखों मजदूरों को इसने जीवनयापन के लिए राह दिखायी और साथ ही, गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन भी हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण भी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। कई ग्रामीण आवासीय योजनाएं काफी पहले से चल रही थीं लेकिन उनमें कई कमियां थीं, जिनको दूर करते हुए 1 अप्रैल 2016 से इस योजना को लांच किया गया। इसमें मनरेगा से 90 से 95 दिन तक अकुशल श्रमिकों की मदद लेने के साथ शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक मदद भी शामिल है। योजना के पहले चरण में एक करोड़ मकानों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरे चरण में 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से तालमेल बना कर एलपीजी कनेक्शन और सौभाग्य योजना से तालमेल कर बिजली कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था भी है। अच्छे ग्रामीण आवास बनाने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनके परिणाम काफी सकारात्मक रहे।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई का अत्यंत महत्व है। इसी के बूते हरितक्रांति आई। फिर भी अभी देश के निवल बोए गए क्षेत्र में से 48 फीसदी सिंचित और 52 फीसदी वर्षा सिंचित है। हर खेत को पानी देने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015–16 में आरंभ की गई। इसमें सतही लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के साथ भूजल योजना भी शामिल है। 'प्रति बूंद अधिक फसल' इस योजना का महत्वपूर्ण घटक है जिसके क्रांतिकारी परिणाम सामने आ रहे हैं। इन योजनाओं के साथ सरकार किसान ऊर्जा सुरक्षा महाभियान यानी कुसुम के तहत 2022 तक देश के तीन करोड़ डीजल या बिजली पंपसेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जित करने की दिशा में भी आगे बढ़ी है और जल संचय के तहत ड्रिप सिंचाई से लेकर कई क्षेत्रों में काम हो रहा है।

भारत सरकार ने मई 2019 में दो मंत्रालयों– जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया। सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन भी आरंभ किया है, जिसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराना है। पांच उत्तर–पश्चिमी राज्यों में 2022 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण भी ग्रामीण भारत के कायाकल्प और रोज़गार में अहम भूमिका निभा रहा है। 28 अप्रैल, 2018 तक देश की सभी आबादी वाले गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। फिलहाल सरकार का फोकस सभी ग्रामीण आवासों तक बिजली पहुंचाने का है जिसके लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत ऐतिहासिक काम हुआ है। अक्तूबर 2017 में आरंभ की गई इस योजना से मार्च 2019 तक 2.62 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया। सरकार अब 2022 तक गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने सभी गांवों में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी और खेती के लिए बिजली उपलब्धता से लागत कम हुई है और ग्रामोद्योगों को नई ताकत मिली है। बिजली पहले शहरी इलाकों की ज़रूरत मानी जाती थी, वह ग्रामीण अर्थतंत्र को मज़बूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। सिंचाई, मड़ाई, ओसाई, चारा काटने, पशुपालन, मुर्गीपालन और कई दूसरे क्षेत्रों में बिजली बेहद कारगर साबित हो रही है। खेती पर आधारित तेलघानी, चावल मिल, दाल मिल और आटा चक्की भी बिजली पर निर्भर हैं। पंपसेट हर गांव की ज़रूरत बने हुए हैं और सिंचाई में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं।

ग्रामीण भारत में आज सूचना और संचार क्रांति नया इतिहास रच रही है। देश की सभी ढाई लाख गांव पंचायतों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। डिजिटल संचार को सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का केंद्रीय हिस्सा बना दिया है, जिसका सकारात्मक असर ग्रामीण भारत पर भी दिख रहा है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट तक पहुंच मुख्यतया मोबाइल बेतार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रही है। देश के अधिकतर गांव मोबाइल सेवाओं से जुड़ चुके हैं। बाकी बचे गांव बेहद कठिन और दुर्गम भूभाग वाले हैं, वे भी जल्दी ही संचार क्रांति से जुड़ने वाले हैं। देश में संचार अवसंरचना के विकास से ई–गवर्नेंस, बैंकों, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में नकदी विहीन लेन–देन में जबर्दस्त तेजी आई है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रगति से स्टार्टअप इंडिया, स्टैण्डअप इंडिया जैसी पहल के जरिए नवसृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।

संक्षेप में, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के बिना आत्मनिर्भर गांवों और नए भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है और इसीलिए अपने निर्धारित लक्ष्य को साधते हुए कोरोना काल में भी बुनियादी ढांचे के निर्माण के काम में ढील नहीं आने दी बल्कि मनरेगा के तहत रिकॉर्ड परिसंपत्तियों का निर्माण गांवों में हुआ। अगर इसी गति से गांवों में विकास की प्रक्रिया जारी रहती है तो वह दिन दूर नहीं है जब आत्मनिर्भर गांवों का स्वप्न साकार होगा।

मानव संसाधन विकास

–विजय प्रकाश श्रीवास्तव

मानव संसाधन विकास में पूर्वाग्रहों के लिए स्थान नहीं है। यह खुद वैज्ञानिक सोच पर आधारित है तथा इसका एक ध्येय लोगों में भी वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। ग्रामीण जनसंख्या के लिए इस तरह की सोच बेहद ज़रूरी है। ऐसी सोच के साथ ही लोग अपने में यह विश्वास उत्पन्न कर पाते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर, परिश्रम एवं प्रयासों से अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

मानव संसाधन विकास अध्ययन का एक प्रमुख विषय है। यह एक बहुचर्चित पद भी है। मानव संसाधन विकास का उल्लेख ज़्यादातर सांगठनिक परिप्रेक्ष्य में होता रहा है। यह सर्वविदित है कि संगठन लोगों से मिल कर बनता है। इसी प्रकार किसी राष्ट्र का निर्माण भी इसके लोगों से ही होता है। अतः मानव संसाधन विकास की भूमिका राष्ट्रों के लिए भी है। राष्ट्र का विकास इसके निवासियों के विकास पर निर्भर है। वास्तव में देखा जाए तो लगभग सभी राष्ट्रों, जिन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है, की प्रगति का मुख्य आधार मानव संसाधन विकास ही रहा है। जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, उनमें से कई देशों ने अपने मानव संसाधन में निवेश कर विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।

मानव संसाधन विकास एक अवधारणा है तथा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया भी। इसका दायरा विस्तृत है। यह एक आवश्यकता है तथा संगठन हो या राष्ट्र, दोनों के लिए भरपूर संभावनाएं उपलब्ध कराती है। मानव संसाधन विकास की अवधारणा के अनुसार यदि किसी संगठन अथवा राष्ट्र में लोग ज़्यादा योग्य कुशल एवं अभिप्रेरित हैं तो संगठन या राष्ट्र का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। संगठन के संदर्भ में यह प्रदर्शन लाभ एवं उत्पादकता के रूप में प्रकट होता है। यदि राष्ट्र की बात करें तो यह अन्य बातों के साथ–साथ सकल घरेलू उत्पाद एवं जीवन की गुणवत्ता में दिख सकता है। सकल घरेलू उत्पाद एक देश में निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यदि दो राष्ट्र सभी मामलों अर्थात् जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधनों आदि के मामले में पूरी तरह समान हो तो भी उस राष्ट्र की समग्र स्थिति बेहतर होगी जिसका मानव संसाधन अधिक गुणवत्तायुक्त है।

मानव संसाधन विकास व्यक्तियों पर केंद्रित होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए समाज में लोगों की शिक्षा,उनके कौशल एवं उत्साह, उत्पादकता का उन्नयन कर बेहतर परिणाम हासिल किए जाते हैं। दरअसल मानव संसाधन विकास में शिक्षण, प्रशिक्षण

एवं रोज़गार को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। शिक्षा के मामले में ज़ोर इस पर होता है कि संपूर्ण आबादी को साक्षर होना चाहिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भरपूर अवसर होने चाहिए तथा योग्य विद्यार्थियों के मामले में अर्थाभाव को उच्च शिक्षा में आड़े नहीं आना चाहिए। प्रशिक्षण, शिक्षण से भिन्न है हालांकि इन दोनों के बीच कुछ बातें समान भी हैं। प्रशिक्षण ज्ञान,कौशल एवं रुझान के विकास पर केंद्रित होता है। लोगों को प्रशिक्षित इसलिए किया जाता है कि वे प्रशिक्षण का उपयोग उत्पादक कार्यों में कर सकें, आत्मनिर्भर बनें तथा अपनी क्षमताओं एवं कुशलताओं का लाभ समाज एवं देश को भी दे सकें। लोगों को उनकी योग्यतानुसार रोज़गार उपलब्ध कराना भी मानव संसाधन विकास की प्राथमिकताओं में शामिल है।

व्यवहार विज्ञानी मानते हैं कि संभावनाएं सभी व्यक्तियों में होती हैं। इन संभावनाओं को मूर्त रूप देना मानव संसाधन विकास के जरिए संभव होता है। विकास की इस रणनीति का लाभ व्यक्तियों को तो होता ही है, समाज,समुदाय एवं राष्ट्र भी लाभान्वित होते हैं और कुल मिला कर विश्व का भी एक बेहतर स्वरूप उपस्थित होता है।

देश में वित्तीय समावेशन तथा समावेशी विकास की नीतियों को लागू हुए कई वर्ष हो गए जिनके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिले हैं। पर इसके साथ यह भी सच है कि देश में ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अभी भी हाशिये पर है तथा खुद को मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करता है। यह ज़रूरी है इस जनसंख्या वर्ग के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएं ताकि देश में मानव संसाधन को पूर्णता प्राप्त हो सके।

ग्रामीण भारत एवं ग्रामीण आबादी का स्वरूप

भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम प्राकृतिक संसाधनों से भी सुसंपन्न है। इसके बावजूद भारत की गिनती अभी विकासशील देशों में होती है। इसका सीधा अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि मानव संसाधन विकास के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत में ग्रामीण आबादी का बाहुल्य अभी भी बना हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की 83.3 करोड़ अर्थात् 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। भारत की एक विशेषता इसका एक कृषि प्रधान देश होना है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 19.9 प्रतिशत है जबकि कृषि व सम्बद्ध कार्यों में देश की करीब 50 प्रतिशत आबादी नियोजित है।

विगत दशकों में ग्रामीण आबादी के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, आवागमन सुधरा है तथा दूरसंचार सुविधाओं, जिनमें मोबाइल फोन तथा इंटरनेट की सुविधाएं शामिल हैं, के विस्तार से ग्रामीण जन अब बाहरी दुनिया तथा इसमें हो रहे बदलावों से ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस वर्ग की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं तथा यह अपनी सीमित दुनिया से बाहर आने को तत्पर हैं। इसे एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। वैसे भी हमारे देश में कृषि में नियोजित लोगों की संख्या आवश्यकता से अधिक रही है। इससे निकल कर कुछ लोग यदि अन्य उत्पादक कार्यों में नियोजित किए जा सकें तो इसका अनुकूल परिणाम हमारे सकल घरेलू उत्पाद में दिखेगा। आंकड़े बताते हैं कि विगत वर्षों में कृषि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी होने के बावजूद कृषि उत्पादन बढ़ा है। कृषि कार्यकलापों की आवश्यकता सभी देशों में होती है। कृषि को और उन्नत बना कर, इसमें प्रौद्योगिकी, भंडारण तथा प्रसंस्करण का ज़्यादा एवं बेहतर उपयोग कर देश अपने निर्यातों को बढ़ा सकेगा जिसका लाभ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव संसाधन विकास में मिलेगा। अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी तथा रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।

1947 में स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् देश ने निश्चित रूप से काफी प्रगति की है, पर गांवों तथा शहरों के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। समस्याएं शहरों तथा गांवों दोनों में हैं, पर भारत में ग्रामीण आबादी के पास सुविधाओं की ज़्यादा कमी है तथा विकास के लिए इसे उतने अवसर उपलब्ध नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। शिक्षा, रोज़गार, अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सुविधाओं सभी में हमारे गांव पिछड़े हुए हैं। देश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए गांवों पर हमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा तथा ग्रामीण जनसंख्या हेतु मानव संसाधन विकास की रणनीतियों को ज़ोर–शोर से लागू करना होगा।

ग्रामीण भारत के समक्ष प्रमुख मुद्दों में गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराना, कुपोषण से छुटकारा तथा शिक्षा एवं सुविधाओं को उन्नत बनाना शामिल है। इन सभी का संबंध मानव संसाधन विकास से है।

भारत की जनसंख्या तथा जनसंख्या लाभ

भारत की बड़ी जनसंख्या को कुछ लोग देश की प्रगति में एक समस्या के रूप में देखते हैं। पर यदि हम इस जनसंख्या के स्वरूप पर नज़र डालें तो हमें इसमें अवसर भी दिखेंगे। जनसंख्या लाभ अर्थात् डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो अनुकूल स्थिति भारत में देखने को मिलती है, वह दुनिया के किसी और देश में नहीं। इसकी चर्चा विश्व आर्थिक मंच पर भी होती रही है।

संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार जनसंख्या लाभ, जनसंख्या के आयु ढांचे में बदलाव के कारण आर्थिक विकास की मौजूद संभावना है जो तब उत्पन्न होती है जब आबादी में कार्यशील लोगों का हिस्सा गैर–कार्यशील लोगों के हिस्से से ज़्यादा होता है। लेकिन लोगों का कार्यशील होना मात्र पर्याप्त नहीं है, उनके लिए उत्पादक, अर्थपूर्ण नियोजन भी उपलब्ध होना चाहिए।

दुनिया के अधिकांश देशों में वृद्धों (60 वर्ष की आयु से अधिक) की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत, भारत की

आबादी में युवाओं का बाहुल्य है। युवाओं को नई सोच, ऊर्जा एवं उत्साह का प्रतीक माना जाता है। उनकी उत्पादकता भी अधिक आंकी जाती है। इस दृष्टि से हम मज़बूत स्थिति में हैं पर हमें इस स्थिति का पूरा लाभ लेने हेतु ठोस एवं केंद्रित प्रयास करने होंगे। जब युवा अधिक संख्या में हैं तो उन्हें नियोजित करने हेतु रोज़गार तथा उद्यमिता के अवसरों की आवश्यकता भी अधिक होगी। यह आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। यदि युवा शक्ति का रचनात्मक उपयोग न हो तो इसके दो परिणाम होते हैं–एक तो हम उनकी क्षमताओं तथा कुशलताओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं; दूसरे, यह शक्ति नकारात्मक कार्यों की तरफ उन्मुख हो सकती है। कुंठित व निराश युवा पीढ़ी की बजाय आशावादी, उत्साही एवं जज्बे से भरपूर युवा किसी भी देश के लिए अधिक उपयोगी हैं।

हमारे देश की करीब 135 करोड़ की आबादी विश्व आबादी का कुल 17 प्रतिशत है। हमारी आबादी की मध्य आयु 30 वर्ष है तथा इसमें 62 प्रतिशत लोग 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में हैं जिसे उत्पादक आयु वर्ग माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों में 18 से 34 वर्ष के युवाओं की संख्या 69 प्रतिशत है। इससे हम ग्रामीण भारत के लिए मानव संसाधन विकास की उपयोगिता समझ सकते हैं।

जनसंख्या लाभ देश के सभी राज्यों में एक समान नहीं है। अतः यह आवश्यक होगा कि जिन राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों में युवा अधिक हैं, उन्हें अन्य क्षेत्रों में आने–जाने, कार्य, व्यवसाय करने की पूरी छूट हो तथा इस मामले में प्रांतीयता आदि की भावना से उठ कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। ध्यान रखने की बात यह भी है कि जनसंख्या लाभ की यह स्थिति हमेशा नहीं बनी रहने वाली, अतः जब तक यह मौजूद है, इसका पूरा–पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। अभी के हिसाब से जनसंख्या लाभ हमें आगामी दो दशकों के लिए तो निश्चित रूप से उपलब्ध है।

जनसंख्या लाभ को हम हाथ से न जाने दें, इसके लिए ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देना होगा।

रोज़गार एवं कौशल विकास की सरकारी योजनाएं

गरीबी उन्मूलन तथा रोज़गार के नए अवसरों का सृजन देश के सामने एक बड़ी चुनौती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए विगत तीन दशकों में कई योजनाएं लागू की जा चुकी हैं जिन्हें मानव संसाधन विकास के एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है। इन योजनाओं में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (1999), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1995), रोज़गार आश्वासन योजना (1993), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000), महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (2005) के नाम गिनाए जा सकते हैं।

कौशल विकास योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है। यह योजना, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से लागू किया गया है, 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना की वेबसाइट के अनुसार अब तक इस योजना में 6139950 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अंग है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना तथा ग्रामीण युवाओं की करियर महत्वाकांक्षाओं को पंख देना है। यह योजना कुशल भारत अभियान का हिस्सा भी है। योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं बाज़ार संबद्ध हैं तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की पद्धति अपनाते हुए लागू की गई हैं। योजना सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, कौशल विकास संगठनों तथा विनियामक संगठनों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा संचालित है। योजना में वर्तमान समय की रोज़गार एवं कौशल ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। इसमें अब तक 11,09,688 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और योजनाएं भी लागू की गई हैं।

उक्त योजनाओं से काफी लोग लाभान्वित हुए हैं पर हमारे देश में मानव संसाधन विकास के लिए इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता पर 2015 की राष्ट्रीय नीति में बताया गया है कि 24 प्रमुख क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 10.97 करोड़ कुशल लोगों की कमी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान दिए बिना इस अंतर को पाटना मुश्किल होगा चूंकि कौशल विकास तथा मानव संसाधन विकास एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु समन्वित मानव संसाधन विकास रणनीति की विशेष आवश्यकता

कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि प्रतिभा गांव एवं शहर में भेद नहीं करती। शिक्षकों एवं कार्मिक प्रबंधकों के हवाले से यह दृढ़ता से कहा जाता रहा है कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थी, श्रमिक अथवा कर्मचारी उतने ही प्रतिभावान हैं जितने कि शहरों के। इसलिए उनके बीच भेद करने का कोई कारण नहीं बनता। हां, हमारी मौजूदा व्यवस्था में ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए अवसरों की उपलब्धता में कमी ज़रूर देखी जाती है। इस विसंगति को दूर करके ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन विकास के उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं।

देश में वित्तीय समावेशन तथा समावेशी विकास की नीतियों को लागू हुए कई वर्ष हो गए जिनके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिले हैं। पर इसके साथ यह भी सच है कि देश में ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अभी भी हाशिये पर है तथा खुद को मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करता है। यह ज़रूरी है इस जनसंख्या वर्ग के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएं ताकि देश में मानव संसाधन को पूर्णता प्राप्त हो सके।

यदि सरलीकृत दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव संसाधन

विकास में जिन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, वे हैं– प्रारम्भिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अवसंरचना विकास, रोज़गार निर्माण, उद्यमिता विकास एवं ऐसे वातावरण की उपलब्धता जिसमें लोगों को अपनी योग्यताओं तथा कुशलताओं को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिले। करीब से देखा जाए तो इन सभी मानकों पर हमारे गांव शहरों से पीछे हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि ग्रामीण स्तर पर बिलकुल शहरों जैसी स्थिति तैयार नहीं की जा सकती पर अवसरों में वृद्धि कर एवं बेहतरी लाकर काफी सुधार ज़रूर लाया जा सकता है। ग्रामीण भारत के स्तर पर इस क्रमिक सुधार की गति तेज़ करना देश में मानव संसाधन विकास की एक प्रमुख आवश्यकता है। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में प्रतिभाशाली ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ने से सरकारी व निजी सेवाओं तथा कारपोरेट जगत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास की प्राथमिक ज़िम्मेदारी सरकार की मानी जाती है। यह कार्य बहुत बड़ा है विशेषकर भारत जैसे देश में। इसलिए इसमें सरकार के साथ–साथ अन्य संस्थाओं को भी जुटना होगा। आज सरकार व निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा अपनी जनशक्ति अर्थात् मानव संसाधन के विकास पर गंभीरता से ध्यान देना सामान्य बात है। सच तो यह है कि तमाम कंपनियों ने अपनी व्यावसायिक रणनीतियों में मानव संसाधन विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया है जो इस विश्वास पर आधारित है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना उन्हें उत्पादकता एवं लाभप्रदता के लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा।

राष्ट्र हेतु मानव संसाधन विकास नीतियों को लागू करने में कारपोरेट क्षेत्र के अनुभव सहायक हो सकते हैं। इसके साथ कारपोरेट जगत ग्रामीण भारत के मानव संसाधन विकास के लिए अन्य प्रकार से भी मदद कर सकता है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत थोड़ी मदद पहले मिलती रही है। एक तो इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है दूसरे, कुछ नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। कंपनियां प्रतिभाशाली ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कर सकती हैं, उनकी उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकती हैं और चाहें तो बाद में उन्हें अपने यहां रोज़गार देकर इस व्यय को वसूल भी सकती हैं। इसी प्रकार इंटर्नशिप के अवसरों में भी ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जाए या ग्रामीण युवाओं के लिए अलग से इंटर्नशिप योजना शुरू की जाए। इंटर्नशिप में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए युवाओं को ये कंपनियां स्थायी रोज़गार प्रदान कर सकती हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं शोध के नए केंद्र सघन ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाएं तो स्थानीय युवा इनका अधिक लाभ उठा सकेंगे।

मानव संसाधन विकास में पूर्वाग्रहों के लिए स्थान नहीं है। यह खुद वैज्ञानिक सोच पर आधारित है तथा इसका एक ध्येय लोगों में भी वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। ग्रामीण जनसंख्या के लिए इस तरह की सोच बेहद ज़रूरी है। ऐसी सोच के साथ ही लोग अपने में यह विश्वास उत्पन्न कर पाते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर, परिश्रम एवं प्रयासों से अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। अपने मानव संसाधन को उन्नति एवं विकास की राह दिखाना, इसके लिए माहौल तैयार करना संगठनों एवं राष्ट्रों की नैतिक ज़िम्मेदारी है। हमारे देश में लागू की गई योजनाएं सरकार द्वारा इस ज़िम्मेदारी को स्वीकार किए जाने की परिचायक हैं। इन योजनाओं का विस्तार कर, नई योजनाएं लागू कर देश में मानव संसाधन विकास को और मज़बूती प्रदान किए जाने की ज़रूरत है जिसमें ग्रामीण भारत का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास एक ऐसा निवेश है जिसका प्रतिफल राष्ट्रों को लंबे समय तक मिलता है।

मानव संसाधन विकास का उद्देश्य शिक्षित एवं कौशलयुक्त समुदाय निर्मित करना तो है ही, अन्य तरीकों से भी मानव संसाधन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इन तरीकों में लोगों में जिज्ञासा जगाना, उनमें तार्किक एवं प्रगतिशील सोच विकसित करना, प्रयोग करने तथा जोखिम उठाने के लिए तत्पर बनाना तथा भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उन्हें इन आवश्यकताओं के लिए तैयार करना शामिल है। ग्रामीण आबादी विशेषकर युवा जनसंख्या के लिए इन विषयों को शामिल करने वाले संक्षिप्त पाठ्यक्रम अलग से चलाए जा सकते हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षित किए जाने की विशेष आवश्यकता हो सकती है। मानव संसाधन विकास में ऐसा वातावरण निर्मित करना भी शामिल है जिसमें लोगों को सीखने, अपनी क्षमताओं तथा कुशलताओं में वृद्धि करने, नए प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर हों तथा लोगों में मौजूद संभावनाएं बाहर निकल कर सामने आएं।

लैंगिक समानता स्थापित करना भी आवश्यक रूप से मानव संसाधन विकास रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। निसंदेह लैंगिक असमानता के उदाहरण शहरों से अधिक गांवों में देखने को मिलते हैं। जब भी ग्रामीण बालिकाओं तथा युवतियों को अवसर मिला है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा चाहे वह पढ़ाई–लिखाई में हो या खेलकूद में, वे किसी प्रकार कमतर नहीं हैं। देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। अर्थव्यवस्था एवं विकास में जब तक उनकी सहभागिता इस अनुपात तक नहीं पहुंचती, तब तक मानव संसाधन विकास का ध्येय समग्रता में पूरा हुआ नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार मानव संसाधन विकास में ग्रामीण आबादी के कमज़ोर वर्गों तथा दिव्यांग जनों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(लेखक मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : v2j25@yahoo.in

ग्रामीण अवसंरचना विकास हेतु समावेशी मॉडल

–डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद

किसी राष्ट्र के विकास की कुंजी पूरी तरह से अवसंरचना के विकास के साथ–साथ ग्रामीण विकास के सही संतुलन पर निर्भर करती है। इसीलिए सभी सार्वजनिक नीति निर्माताओं के लिए अवसंरचना विकास और ग्रामीण विकास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए ज़रुरत है एक दीर्घकालिक, दूरगामी, व्यवस्थित समावेशी मॉडल और एकीकृत पहल की जो सभी क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण अवसंरचना को विभिन्न विभागों की जगह एकीकृत विभाग और व्यवस्था के अंतर्गत ला सके ताकि ग्रामीण विकास की अनुरूपता, सही स्थिति, उपलब्धता, कमी और भविष्य की आवश्यकताओं का पता चल सके।

ग्रामीण विकास में ग्रामीण अवसंरचना या बुनियादी ढांचे की भूमिका को देखते हुए आज़ादी के बाद से ही सरकारें समय–समय पर विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में कदम उठा रही हैं। सरकार बदलती है तो उनके कार्यक्रम, संकल्प और प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं और कई बार सामने आया है कि कुछ योजनाएं एवं परियोजनाएं सत्ता बदलने से अधर में चली जाती हैं जिससे विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए ज़रूरत है एक दीर्घकालिक, दूरगामी, व्यवस्थित समावेशी मॉडल और एकीकृत पहल की जो सभी क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण अवसंरचना को विभिन्न विभागों की जगह एकीकृत विभाग और व्यवस्था के अंतर्गत ला सकें ताकि ग्रामीण विकास की अनुरूपता, सही स्थिति, उपलब्धता, कमी और भविष्य की आवश्यकताओं का पता चल सके।

अवसंरचना किसी भी देश की रीढ़ होती है। यह राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत की 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण आबादी को नागरिक सेवाएं और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। इससे उनके जीवन–स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर हम देश में ग्रामीण अवसंरचना की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि उद्योगों, गरीबी उन्मूलन और बाज़ारों तक बेहतर पहुंच और रोज़गार के अवसरों के दृष्टिकोण से इसका विकास महत्वपूर्ण हो जाता हैं।

ग्रामीण अवसंरचनाः अर्थ और अवधारणा

सामान्य तौर पर अवसंरचना को "सामाजिक जीवन स्थितियों को सक्षम बनाए रखने या बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुओं और

सेवाओं को प्रदान करने वाली परस्पर संबंधित प्रणालियों के भौतिक घटकों" और आसपास के वातावरण को बनाए रखने के रूप में परिभाषित किया गया है। संपूर्णता में अवसंरचना को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है– पहला, आर्थिक अवसंरचना– यह बुनियादी सुविधाओं का संयोजन है जो अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं शामिल होती हैं जैसे– सड़कें, रेलवे, परिवहन, संचार और बैंकिंग इत्यादि। दूसरा, सामाजिक अवसंरचना– यह बुनियादी सुविधाओं का संयोजन है जो शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था (जैसे स्कूल, अस्पताल) स्वच्छता, पेयजल इत्यादि से संबंधित होती हैं और जिससे मानव विकास संभव है। ग्रामीण अवसंरचना सार्वजनिक और निजी भौतिक संरचनाओं जैसे सड़कों, रेलवे, पुलों, सुरंगों, जलापूर्ति, सीवर, विद्युतग्रिड और दूरसंचार (इंटरनेट कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड एक्सेस सहित) से बनी है। मूल रूप से, ग्रामीण अवसंरचना में लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं।

ग्रामीण अवसंरचना ग्रामीण विकास की कुंजी है और दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। ग्रामीण विकास से तात्पर्य मूल रूप से तीन प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों से है–

1. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली तथा पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना।

2. व्याप्त गरीबी को दूर करने हेतु रोज़गार के समुचित अवसर पैदा करना तथा

3. देश के शासन/गवर्नेंस में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनमें जागरूकता और चेतना का संचार करना।

इन तीनों प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों की अच्छी व्यवस्था से ही ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेज़ी लाई जा सकती है और इन्हें ग्रामीण अवसंरचना की संरचना, दर्शन और प्रवृत्तियां ही परिवर्तित कर सकती हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के विषय को ध्यान में रखते हुए कई विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है। परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास के रास्ते खुले हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत हुई है।

ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र और महत्त्व

ग्रामीण भारत की ग्रामीण अवसंरचना और शहरी सेवाओं के उन्नयन और विकास की आवश्यकता और मौजूदा ग्रामीण आबादी की मांग को पूरा किए बिना देश को समग्र विकास और आर्थिक विकास तथा समृद्धि के पथ पर लाना मुश्किल है। गांवों, पंचायतों, प्रखंडों और ज़िलावार क्षेत्रीय–स्तर पर बेहतर योजना बनाकर तथा सुविधाओं और सेवा मानकों के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव पर ध्यान देकर इसे पूरा किया जा सकता है।

ग्रामीण अवसंरचना में सुधार के लिए हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र हैं: कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, आवास, सड़क संपर्क, परिवहन, ऊर्जा और संचार आदि। इसके अलावा, सीवेज, जल निकासी और जल आपूर्ति, बिजली वितरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन और थाना तथा सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे पार्क, खेल के मैदान और विरासत परिसरों का संरक्षण आदि भी ज़रुरी है। ग्रामीण आबादी को विकास के रोडमैप पर लाने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क सफलता की कुंजी है। यूं तो सभी क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना में सुधार का महत्व है लेकिन सड़क संपर्क अन्य बुनियादी सुधारों का मार्ग सुगम्य बनाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र और उनके महत्व का विवरण संक्षेप में यहां दिया जा रहा है–

कृषि अवसंरचना : हमारे देश में कृषि अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है क्योंकि भारत मुख्य रूप से कृषि–आधारित देश है और देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का पांचवां हिस्सा कृषि गतिविधियों से आता है। इसके अंतर्गत कृषि सलाह केंद्र, बीज केंद्र, कृषि रोज़गार, अन्न गोदाम, बाज़ार, सिंचाई आदि जैसी अवसंरचना विकसित हो सकती हैं।

ग्रामीण सड़कें : यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गतिशीलता और संपर्क प्रदान करती हैं। यह किसानों को पानी, बीज और अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराकर कृषि गतिविधियों को बहुत आवश्यक बढ़ावा देती हैं। कनेक्टिविटी में सुधार कर, ग्रामीण सड़कें गैर–कृषि क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ाती हैं। ग्रामीण सड़कें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सार्वजनिक सेवाएं हों और राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचें। वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करती हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण : यह मूल रूप से कृषि और सिंचाई पंपसेट, लघु और मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, शीत भंडारण श्रृंखला, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करती है।

ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना समग्र स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी ग्रामीण परिवारों को स्थायी रूप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार के अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप स्रोत और उपलब्धता दोनों से पीने के पानी की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। यह प्रणालियों और स्रोतों की

राष्ट्रीय–स्तर पर पूरे किए गए कार्यों की रिपोर्ट 2020

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुल लक्ष्य	पूर्ण हुए कार्य	पूर्ण कार्यों का प्रतिशत
20863993	14287124	68.48

(स्रोत: https://rhreporting.nic.in/netiay/homereports/Home Cumulative DataReport.aspx?type=4)

स्थिरता का नेतृत्व कर सकती हैं और पानी की गुणवत्ता की समस्या से निपट सकती हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।

ग्रामीण आवास : ग्रामीण आवास ग्रामीण विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए आवास मूलभूत आवश्यकता है।

ग्रामीण स्वास्थ्य : ग्रामीण जनता के लिए चिकित्सा सेवाओं को सरकार ने उपकेंद्र (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खोल कर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। इसमें लोगों के जीवन–स्तर में सुधार करने की क्षमता है।

उपरोक्त सभी कारकों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई); जल जीवन मिशन (जीजेएम); दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना– सौभाग्य, उज्ज्वला योजना और हर घर नल में जल योजना इत्यादि। इन ग्रामीण योजनाओं ने ग्रामीण भारत में लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना उपलब्ध हो तो निवेश के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, ग्रामीण बिजली, सिंचाई, पानी, स्वच्छता और सड़क के अवसंरचना के विकास से उत्पादकता, बचत, आय और पर्यटन में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों को बेहतर रोज़गार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

ग्रामीण अवसंरचनाः मुख्य मुद्दे और चुनौतियां

ग्रामीण अवसंरचना विकास सरकार की प्राथमिकता रही है और बेहतर अवसंरचना के निर्माण की दिशा में कई पहल की गई हैं। फिर भी ग्रामीण अवसंरचना के विकास की काफी गुंजाइश है। अर्थात् वर्तमान में ग्रामीण अवसंरचना अपर्याप्त है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना में अंतर के अलावा, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार और रखरखाव के लिए उपलब्ध धन की एक बड़ी कमी है। पारंपरिक संस्थागत ढांचे में कमियों के कारण सरकारी बजटीय सहायता की अपर्याप्तता को देखते हुए इन क्षेत्रों के निवेश में भारी गिरावट आई है। चल रही परियोजनाओं की ज़्यादा संख्या और परियोजना विकास तथा प्रबंधन कौशल की कमी के कारण संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हुआ है।

ऐसे कई अन्य कारक/आयाम हैं जिन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास को चुनौती दी है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और आवास के लिए भूमि के अधिग्रहण/आपूर्ति की अनुपलब्धता,
- ग्रामीण आबादी के लिए आय के औपचारिक व स्थिर स्रोत का अभाव के कारण अपर्याप्त वित्तपोषण,
- सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी अड़चनें

चार स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास व्यवस्था

गांव	पंचायत	प्रखंड	ज़िला
• प्राथमिक स्कूल	• माध्यमिक स्कूल	• हाई स्कूल	• कॉलेज
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	• उप स्वास्थ्य केंद्र	• सामुदायिक स्वास्थ्य	• रेफरल अस्पताल
• सामुदायिक भवन	• पंचायत भवन	• इंटरमीडिएट स्कूल	• विश्वविद्यालय
• मनोरंजन केंद्र	• बैंक	• अग्निशमन केंद्र	• ज़िला कोर्ट
• पॉवर हाउस	• कृषि सुविधा केंद्र	• बस टर्मिनल	• आपदा प्रबंधन केंद्र
• संचार टॉवर	• पुलिस बूथ	• ब्लॉक	• समाहरणालय
• उप डाकघर	• जन शौचालय	• उप रजिस्टरार ऑफिस	• रोज़गार प्रशिक्षण
• एटीएम	• गैस वितरण गोदाम	• पुलिस थाना	• पब्लिक टॉयलेट
• मिल्क डेयरी	• पब्लिक लाइब्रेरी	• पेट्रोल पम्प	• विभिन्न ऑफिस
• श्मशानघाट/कब्रिस्तान	• बिजली घर	• सिविल कोर्ट	• प्रधान डाकघर
• वॉटर टंकी	• जन सुविधा केंद्र	• कुटीर उद्योग	• फैक्ट्री/कम्पनियां/मेडिकल कॉलेज

तथा निजी भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व का अभाव,

- ग्रामीण सड़क नेटवर्क तथा दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क की खराब स्थिति,
- सीमित जवाबदेही और संस्थागत क्षमता की कमी,
- ग्रामीण अवसंरचना में सुधार को कम प्राथमिकता और धन की कमी और
- सीमित भुगतान क्षमता के कारण कम परियोजना व्यवहार्यता आदि।

एक सर्वे के अनुसार, 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40 प्रतिशत ही कृषि उत्पादन जैसे कार्यों से जुड़े हैं, शेष मज़दूरी, वेतनभोगी रोज़गार, गैर–कृषि व्यवसाय और अन्य स्रोतों में लगे हैं। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण अधिकांश ग्रामीण लोग खेती के अलावा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं पर अवैतनिक काम का बोझ होता है जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान में बाधा डालता है। उदारीकरण के बाद के वर्षों से महिला श्रमशक्ति भागीदारी में गिरावट आई है। इनकी आय को बढ़ाने के लिए महिला अनुकूल रोज़गारपरक व्यवस्था की घोर कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कम हैं। साथ ही कक्षाओं की संख्या, सुरक्षित पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, स्वच्छता, शिक्षण कर्मचारी आदि के मामले में भी कमियां व्याप्त हैं। भारत के कई ग्रामीण और अर्ध–शहरी हिस्से बैंकिंग और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं।

इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के आधारभूत ढांचे के विकास की अपार संभावनाएं हैं। वास्तव में, ग्रामीण अवसंरचना के संभावित क्षेत्रों को जितनी जल्दी हो सके, चिन्हित करने की आवश्यकता है ताकि देश में पुनर्वितरण विकास प्राप्त किया जा सके और गरीबी को कम किया जा सके।

ग्रामीण अवसंरचना विकास मॉडल : एक एकीकृत समावेशी दृष्टिकोण

बेहतर ग्रामीण अवसंरचना के माध्यम से ग्रामीणों के लिए सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने नागरिकों के जीवन को बदलने और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में एक लंबा सफर तय किया है। फिर भी 75 साल के उपरांत, भारत की कुल आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले दस में से सात भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार एक कठिन चुनौती बनी हुई है। इसलिए चाहे वह अवसंरचना हो, नौकरी हो या कौशल, ग्रामीण भारत को नीति और दृष्टिकोण में आमूलचूल बदलाव की ज़रूरत है। दशकों से, ग्रामीण पंचायत, ग्रामीण ब्लॉक और ज़िले को विकास की इकाइयों के रूप में केंद्रित करते हुए, कई कार्यक्रम और रणनीतियां शुरू की गई हैं। कुछ का प्रभाव पड़ा है, लेकिन समग्र प्रगति के अध्ययन से पता चलता है कि आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करके और अवसंरचना को विकसित करके स्थायी और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने का सपना अभी भी पूरा किया जाना है।

अब समय है ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति और गुणवत्ता–उन्मुख सेवाओं के निर्माण पर बल देने का। अतः ग्रामीण सतत विकास के लिए पीपीपी मॉडल के तहत निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी होंगी। अवसंरचना में निवेश बढ़ेगा तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे जिससे रोज़गार सृजित होंगे, नागरिकों का जीवन सुगम होगा। इसी लोक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की कड़ी में ग्रामीण पर्यटन स्थली का निर्माण किया जा सकता है। ग्रामीण कला–आधारित पर्यटन विकास समुदायों, संस्कृतियों और परंपराओं के संरक्षण और प्रवर्धन के साथ–साथ रोज़गार का सशक्त माध्यम बन सकता है। इस प्रक्रिया में 'विरासत' आजीविका और सशक्तीकरण का साधन बन जाएंगी। वास्तव में, ग्रामीण पर्यटन उद्योग में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की क्षमता भी है। ग्रामीण पर्यटन की प्रगति से ग्रामीणों की कृषि आय पर निर्भरता कम हो सकती है और उन्हें पहचान, अवसंरचना और विकास क्षमता भी प्राप्त होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कृषि और घरेलू काम दोनों के अलावा कमाई के साधन में भारतीय महिलाओं की भूमिका को मान्यता देनी होगी।

उपरोक्त संदर्भ में यह तभी संभव होगा, जब केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता स्मार्ट या आदर्श गांव, स्मार्ट/आदर्श पंचायत, स्मार्ट/आदर्श प्रखंड और स्मार्ट/आदर्श ज़िला निर्माण होगा। इनसे न केवल बेहतर नागरिक सुविधाओं या बेहतर अवसंरचना के साथ शहरों का निर्माण होगा, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से समावेशी और सहयोगी वातावरण सृजित होगा।

चार–स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास व्यवस्थाः ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए चार स्तरीय व्यवस्था गांव, पंचायत, प्रखंड और ज़िला को ध्यान में रखकर कुछ स्थायी परिसम्पतियों या बुनियादी सुविधाओं के विकसित करने की ज़रुरत है।

इन उपरोक्त बुनियादी सुविधाओं के एकीकृत विकास पर ज़ोर देना होगा। ग्रामीण अवसंरचना मूल रूप से गांव, पंचायत और प्रखंड हो सकते हैं। ज़िला जो शहरी क्षेत्र में आता है लेकिन इन स्तरों के विकास में पूरक के रूप में योगदान देगा।

ग्रामीण अवसंरचना विभाजन : ग्रामीण अवसंरचना को दो भागों में विभाजित कर देखना पड़ेगा और दोनों को साथ–साथ एकीकृत रूप से विकास करना होगा।

1. ग्रामीण अवसंरचना– व्यक्तिगत
2. ग्रामीण अवसंरचना– सामुदायिक

अधिकांशः योजनाओं या कार्यक्रमों में ग्रामीण अवसंरचना– व्यक्तिगत जैसे– शौचालय, आवास इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन ग्रामीण अवसंरचना– सामुदायिक जैसे– स्कूल, अस्पताल, थाना, अग्निशमन केंद, सड़क, वॉटर टंकी, कृषि केंद्र, परिवहन आदि के लिए सर्वांगीण रूप से एक विभाग या योजना के तहत कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य अलग–अलग विभागों के द्वारा सम्पन्न हो रहे हैं। अगर ग्रामीण विकास के लिए एक विभाग को प्रोजेक्ट बनाने, क्रियान्वित करने, देखभाल करने आदि का ज़िम्मा मिले तो शायद ग्रामीण अवसंरचना की रूपरेखा कुछ और हो।

त्रि–स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास रणनीतिः ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए त्रि–स्तरीय रणनीति स्थायी अवसंरचना निर्माण, रोज़गार सृजन तथा सुविधा–सम्पन्न स्मार्ट स्वरूप में विकास पर कार्य करना होगा।

पहले स्तर पर : स्थायी अवसंरचना निर्माण जैसे– भवन, संस्थान, केंद्र, अस्पताल, विद्यालय, आवास, उद्योग और सड़क आदि स्थायी एवं प्राथमिक ढांचा हो जिस पर अन्य पूरक सेवाएं निर्भर करती हो। यह समस्या का स्थायी समाधान दे सकता है जबकि सब्सिडी, अनुदान, खाद्य आपूर्ति या अन्य तरह के लाभ या सहायता क्षणिक स्वरूप के होते हैं।

दूसरे स्तर पर : रोज़गार सृजन जैसे– कुटीर और मध्यम उद्योग, रोज़गारपरक योजना व कार्यक्रम, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा मुर्गीपालन आदि जिससे गरीबी उन्मूलन, जीवन–स्तर सुधार और प्रवास में कमी लाई जा सके।

तीसरे स्तर पर : स्मार्ट गांव, पंचायत, प्रखंड और ज़िला को विकसित करना जैसे– संचार एवं परिवहन तथा सभी आधुनिक तकनीकी और सुविधासंपन्न चीज़ों की उपलब्धता हो जिससे ग्रामीण शासन के नए प्रतिमानों को विकसित करके और ग्रामीण क्षेत्र को सुधार कर बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग : ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक विभाग के रूप में **'ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग'** को लाने की आवश्यकता है जो विभिन्न विभागों या क्षेत्रों की कार्ययोजनाओं पर नहीं बल्कि केवल और केवल संपूर्णता के साथ ग्रामीण अवसंरचना को मज़बूती प्रदान देने पर कार्य करे। ज़िला समाहरणालय जिसमें विभिन्न विभाग के प्रभाग/शाखा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विभाग मौजूद होते है, ज़िला–स्तर पर इन विभागों के कार्यों के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग का ज़िम्मा ज़िलाधिकारी के पास होता है।

ज़िला–स्तर पर बने 'ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग' के प्रभाग में विभिन्न शाखा/अनुभाग हो, जो समस्त अवसंरचना से जुड़े कार्यों को, चाहे वह किसी विभाग या योजना या कार्यक्रम से हो, को विशेषज्ञता से क्रियान्वित करें। ज़िला–स्तर पर ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग की निम्न रूपरेखा प्रस्तावित है–

ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग/प्रभाग के कार्यों की पारदर्शिता के लिए ज़िला संसद के रूप में 'ज़िला अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन समिति' कार्य करेंगी। इसमें ज़िलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव के अलावा ज़िले के जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, प्रमुख, मुखिया, राजनीतिक दल के अध्यक्ष, स्थानीय मीडिया और सम्मानित लोग सदस्य होंगे जो अपनी–अपनी मांगों को आवश्यकतानुसार रखेंगे और सवाल–जवाब करेंगे।

ग्रामीण अवसंरचना निर्माण निधि : ग्रामीण अवसंरचना विभाग के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए राज्य–स्तर पर 'ग्रामीण अवसंरचना निर्माण निधि' बनाई जाए। इन निधि में प्रत्येक वितीय वर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि भेजे। राशि के आवंटन के लिए पारदर्शी और स्थायी फार्मूला हो जिससे केंद्र और राज्यों के बीच आरोप–प्रत्यारोप की नौबत ही नहीं आए।

एकल खिड़की वैधानिक विशेषज्ञ एजेंसी : ज़िला–स्तर पर निर्माण कार्य करने और देखरेख के लिए एकल खिड़की वैधानिक 'विशेषज्ञ एजेंसी' हो जो संबंधित विभागों के नियमानुसार

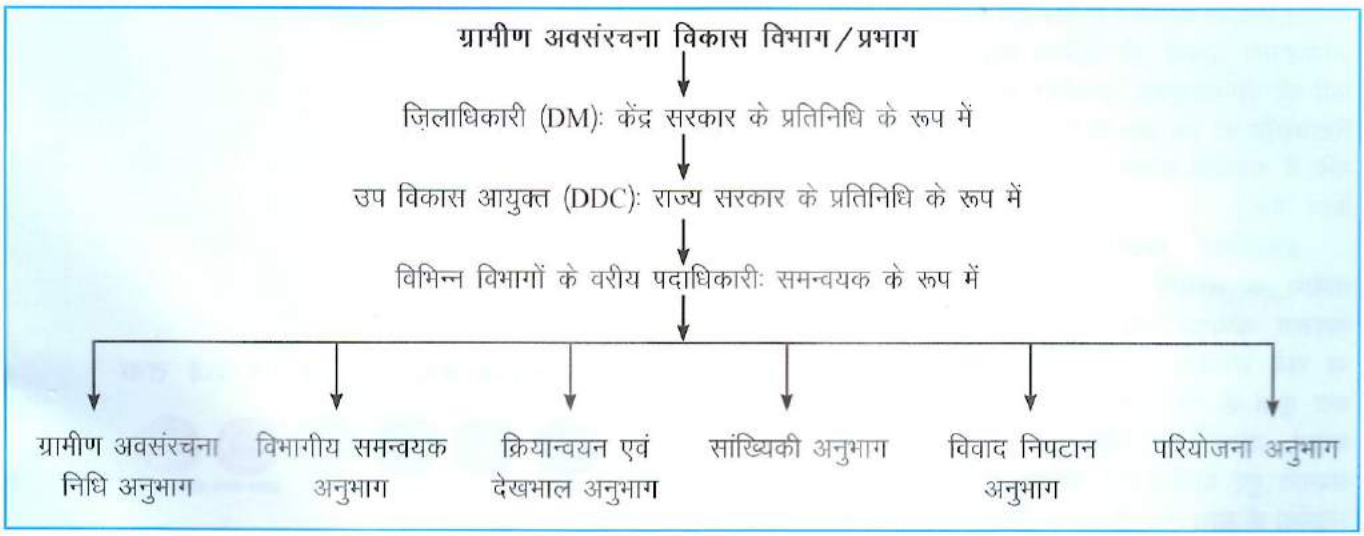

और परामर्श से कार्य करें। चूंकि इन सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए परियोजना की समाप्ति के बाद ज़िलाधिकारी, उप विकास आयुक्त या संबद्ध अधिकारी के द्वारा काम की गुणवत्ता और निष्पक्षता का शपथपत्र देना और ज़िम्मेवारी लेना सुनिश्चित किया जाए।

सुदृढ़ वित्तीय ढांचा एवं संवर्धन–पीपीपी मॉडल : तेज़ी से अवसंरचना निर्माण से निधि में कमी आ सकती है और ग्रामीण अवसंरचना के वित्तपोषण में पूंजी बाज़ार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में निजी निवेश को भी लोक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर शामिल किया जा सकता है। ज़िला और प्रखंड–स्तर पर कुटीर एवं लघु उद्योग के निर्माण, पर्यटन स्थल विकसित करने, कम्पनियां या फैक्ट्री खोलने, कृषि को व्यवसाय में परिणत करने इत्यादि कोई भी पहल जिससे स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण और रोज़गार सृजित होता हो, उसमें निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार की साख बची रहे। प्राइवेट निवेशक की मंशा लाभ आधारित होती है इसलिए सरकार को वित्तीय पहलू को अपने हाथ में रखना चाहिए।

मानव संसाधन विकास एकेडमी या केंद्र : ज़िला के विभिन्न स्तरों/क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्टाफ और कर्मचारियों की कमी को दूर करने तथा युवाओं एवं महिलाओं को रोज़गार मुहैया करने हेतु ज़िला–स्तर पर एक 'मानव संसाधन विकास अकादमी या केंद्र' स्थापित किया जाए। यह अकादमी थिंक टैंक के साथ बहुआयामी प्रवृत्ति की होंगी। इसमें बाज़ार की मांग के अनुरूप कार्यबल (कुशल, अर्धकुशल, अकुशल) तैयार करने एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ लघु अवधि पाठ्यक्रम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेस आदि शोधकर्ताओं, एकेडमिशियनस के साथ–साथ बाहरी प्रोफेशनल संस्थाओं और उद्यमियों के परामर्श और सहयोग से सम्पन्न होंगे। इस संस्थान की स्थापना एवं फंडिंग कौशल विकास कार्यक्रम से हो। इस एकेडमी से प्राप्त कौशलधारी युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पड़े पदों पर योग्यतानुसार सम्मानित मासिक मानदेय पर रिटायरमेंट की उम्र तक के लिए भर्ती किया जाए और यदि वे सरकारी परीक्षा पास करें तो उन्हें सरकारी वेतन मिले।

इकाईवार मास्टर प्लान : वर्तमान में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए चल रही व्यवस्था लक्ष्यवार नहीं दिखती है। कोई डेटाबेस या सर्वे उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि क्या हुआ है और क्या करना बाकी है? इसलिए यथार्थ, वास्तविकता और दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र को इकाई में विभक्त कर संपूर्णता के साथ 'मास्टर प्लान' और 'रोडमैप' बना कर मिशन मोड में कार्य को अंजाम देना होगा। ऐसा देखा गया है कि कई ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्र जैसे– बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा और कृषि विपणन केंद्र आदि गांव स्तर पर विकसित करना ज़्यादा खर्चीला होता है। इन स्थितियों में बेहतर डिलीवरी व्यवस्था कायम करने हेतु इनोवेटिव आईडिया और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्येक गांव के लिए वैकल्पिक रूप में संबंधित सेवाओं हेतु एक प्रतिनिधि नियुक्त हो जो कार्यों को डिजिटल रूप में सम्पन्न करें।

उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के साथ–साथ सरकार की परंपरागत ढ़ंग से चल रही योजना, परियोजना, कार्यक्रम और मिशन वाली व्यवस्था भी चलती रहेंगी। इस तरह लगभग 10–15 वर्षों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त ग्रामीण अवसंरचना निर्माण हो चुका होगा। इससे विकास की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई देगी और साथ ही यह भी पता चल पाएगा कि क्या हुआ है और क्या करना बाकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण अवसंरचना विकास से सारी चीजें पटरी पर जल्दी आ जाती हैं और सरकारों को जो योजना लागू करनी हो या किसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना हो, वह बिना किसी बाधा के कर सकती हैं। इस व्यवस्था और प्रकिया को भविष्य में आत्मसात कर आगे बढ़ने से गांव और शहर के बीच की खाई मिटती नज़र आएगी और देश की स्वर्णिम तस्वीर सामने आएगी।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : **shyamzrd@gmail.com**

2022 तक उत्तर-पश्चिम भारत में सभी घरों में नल से जल

पांच उत्तर–पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा और यहां के सभी ग्रामीण घरों को 2024 की बजाय 2022 तक नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। हर घर में पेयजल की आपूर्ति से इन क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार होगा।

पांच उत्तर–पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा और यहां के सभी ग्रामीण घरों को 2024 की बजाय 2022 तक नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इस लक्ष्य को 2022 तक हासिल करने के लिए 2021–22 में 8,216.25 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन को मंज़ूरी दी गई है। यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 2020–21 में दिए आवंटन से 4 गुना ज़्यादा है। हर घर में पेयजल की आपूर्ति से इन क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार होगा। आवंटन में इस भारी वृद्धि और कार्यान्वयन की गति से, ये 5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से दो साल पहले ही, 2022 तक 'हर घर जल' का दर्ज़ा हासिल कर लेंगे।

15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा की। सभी घरों में 2024 तक नल से पानी की आपूर्ति के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए, पिछले 21 महीनों में, कोविड–19 महामारी के चलते बार–बार आ रही बाधाओं और लॉकडाउन के बावजूद, 4.25 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, देश में केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। इस समय गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी 'हर घर जल' राज्य बन गए हैं अर्थात् इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हर ग्रामीण घर के पास नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। देश के 62 ज़िलों, 746 ब्लॉक और 91 हजार से ज़्यादा गांवों में अब हर घर में नल से पीने योग्य पानी की आपूर्ति हो रही है।

प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम कर रहा है ताकि हर घर के लिए पानी वाले नल कनेक्शन का प्रावधान किया जा सके।

हरियाणा

हरियाणा में, जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले, 31.03 लाख घरों में से केवल 17.67 लाख (57 प्रतिशत) घरों के पास पाइप से पानी का कनेक्शन था। जेजेएम के तहत 21 महीनों में 10.24 लाख ग्रामीण घरों को नल से पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। साथ ही, हरियाणा में नल से पानी के कनेक्शन की संख्या 33 प्रतिशत बढ़ गई, अब 28.34 लाख (91.32 प्रतिशत) ग्रामीण घरों को नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। राज्य में 5,150 गांव, 68 ब्लॉक और 8 ज़िलों में 'हर घर जल' की आपूर्ति की जा रही है तथा 8 और ज़िलों में 90 प्रतिशत से अधिक घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है।

हरियाणा ने 2021–22 तक 2.61 लाख घरों को और शेष 1.48 लाख घरों को 2022–23 में नल से पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों

100 दिवसीय अभियान का असरः स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल की सप्लाई

में 'कोई भी नहीं छूटना चाहिए' और गांवों को 100 प्रतिशत कवर किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 1,119.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि 2020–21 से चार गुना ज़्यादा है और 256.81 करोड़ रुपये राज्य के लिए जारी कर दिए गए हैं। इस आवंटन के साथ, राज्य ने 2,304.38 करोड़ रुपये निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की है जिसमें 2021–22 में राज्य का हिस्सा और अव्यय राशि शामिल है।

हिमाचल प्रदेश

जल जीवन मिशन की शुरुआत में, हिमाचल प्रदेश में 17.03 लाख घरों में से केवल 7.62 लाख (45 प्रतिशत) घरों में नल से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था थी। इन 21 महीनों में, 5.45 लाख (32 प्रतिशत) घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। अब, हिमाचल प्रदेश में 13.08 लाख (76.7 प्रतिशत) घरों को नल से पानी की आपूर्ति हो रही है और हिमाचल प्रदेश में 3 ज़िले, 11 ब्लॉक और 8,638 गांव 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं।

2020–21 में कोविड–19 महामारी के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में 3.80 लाख ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश ने 2.08 लाख घरों को 2021–22 में और शेष 1.94 लाख घरों को 2022 में नल से पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। राज्य ने सभी 18,079 गांवों के प्रत्येक ग्रामीण घर को 2022 तक नल से पानी की आपूर्ति देने की योजना बनाई है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की मदद के लिए, 2021–22 में हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 1,262.78 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो कि 2020–21 में 326.2 करोड़ रुपये था और इसमें से 315.7 करोड़ रुपये राज्य के लिए जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब

जल जीवन मिशन की शुरुआत में, पंजाब में केवल 16.78 लाख (48 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। पिछले 21 महीनों में, 9.97 लाख ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके 28.7 प्रतिशत बढ़ने के साथ, पंजाब में अब 26.75 लाख (77 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति रही है। जेजेएम के तहत 2021–22 में 8.87 लाख घरों को नल से पानी की आपूर्ति की योजना बनाई गई है।

सभी ग्रामीण घरों को नल के पानी की उपलब्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1,656.39 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन

जल जीवन मिशन– हर घर जल

03.06.2021 को प्रगतिशील एफएचटीसी (1) कवरेज

क्र. सं.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	कुल घर	15.08.2019 को नल कनेक्शन के साथ घर		3.06.21 को नल कनेक्शन के साथ घर		मिशन के शुरू होने के बाद से नल के पानी की आपूर्ति	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	हरियाणा	31,03,078	17,66,363	56.92	27,90,518	89.93	10,24,155	76.62
2.	हिमाचल प्रदेश	17,03,626	7,62,721	44.77	13,07,736	76.76	5,45,015	57.92
3.	पंजाब	34,73,254	16,78,558	48.33	26,73,721	76.98	9,95,163	55.45
4.	जम्मू और कश्मीर	18,15,909	5,75,466	31.69	10,05,520	55.37	4,30,054	34.67
5.	लद्दाख	4,4082	1,414	3.21	4,137	9.38	2,723	6.38
	भारत	19,19,63,738	3,23,62,838	16.86	7,46,57,108	38.89	4,22,94,270	26.50

स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रगतिशील नल कनेक्शन

क्र. सं.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	स्कूलों की कुल संख्या	(3.06.21) की तारीख को स्कूलों में नल कनेक्शन		आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या	(3.06.21) की तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन	
			संख्या	प्रतिशत		संख्या	प्रतिशत
1.	लद्दाख	981	507	51.68	1,157	514	44.43
2.	जम्मू और कश्मीर	22,492	20,079	89.27	24,149	21,366	88.48
3.	हिमाचल प्रदेश	17,298	17,298	100.00	17,769	17,769	100.00
4.	पंजाब	22,415	22,415	100.00	21,954	21,954	100.00
5.	हरियाणा	12,991	12,991	100.00	21,795	21,795	100.00
	भारत	10,30,820	6,53,790	63.42	11,47,151	5,83,730	50.89

को मंजूरी दी गई है, जो 2020–21 से 4.5 गुना अधिक है। वर्ष 2019–20 में, पंजाब के लिए केंद्रीय आवंटन 227.46 करोड़ रुपये था जिसे 2020–21 में 362.79 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया था। कम खर्च की वजह से, राज्य पिछले साल कोई केंद्रीय अनुदान नहीं ले सका और 362.79 करोड़ रुपये का संपूर्ण आवंटन वापस कर दिया। इस केंद्रीय आवंटन, बचे हुए धन और राज्य के हिस्से को मिलाकर, राज्य के पास जल जीवन मिशन के लिए 3,533.5 करोड़ रुपये हैं। 2022 तक सभी ग्रामीण घरों को नल का पानी प्रदान करने हेतु जल आपूर्ति परियोजना पूरी करने के लिए राज्य के पास वित्त की कोई कमी नहीं है।

जम्मू और कश्मीर

जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले, जम्मू और कश्मीर के 18.16 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 5.75 लाख (31 प्रतिशत) घरों के पास पाइप के पानी की आपूर्ति होती थी। इन 21 महीनों में, कोविड–19 महामारी, लॉकडाउन और बाधाओं के बावजूद, 4.30 लाख (23.69 प्रतिशत) घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। जम्मू और कश्मीर में अब 10.05 लाख (55.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों को नल के पानी की आपूर्ति होती है।

जम्मू और कश्मीर ने 4.91 लाख घरों को 2021–22 में और 3.27 लाख घरों को 2022–23 में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। सभी ग्रामीण घरों को 2022 से पहले नल के पानी की उपलब्धता में इस केंद्रशासित प्रदेश की मदद के लिए केंद्रीय अनुदान को बढ़ाकर 2,747.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 2020–21 से चार गुना ज़्यादा है।

लद्दाख

जल जीवन मिशन की शुरुआत में लद्दाख में केवल 1,414 (3.2 प्रतिशत) घरों के पास नल के पानी की आपूर्ति की सुविधा थी। जेजेएम के तहत 21 महीनों में 2,760 (6.4 प्रतिशत) घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

कठिन क्षेत्र, प्रतिकूल मौसम और दूर–दूर बसी बस्तियों जैसी चुनौतियों के बावजूद भी, लद्दाख ने 28,788 घरों को 2021–22 में और 11,568 घरों को 2022–23 में नल के पानी का कनेक्शन देने की योजना बनाई है। अपने घर में नियमित तौर पर नल के सुरक्षित पानी की आपूर्ति की लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय आवंटन को 1,429.96 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है जो 2020–21 के मुकाबले चार गुना ज़्यादा है।

जल जीवन मिशन के तहत 21 महीनों में, इन पांच उत्तर–पश्चिम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 29.28 लाख से ज़्यादा नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। 15 अगस्त, 2019 को जेजेएम की घोषणा के वक्त, इन राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में केवल 47.84 लाख ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। टेबल से दिखाया गया हैं कि कैसे इन उत्तर–पश्चिम भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन ने लाखों लोगों, खासकर मांओं, बहनों और बेटियों की ज़िंदगी बेहतर की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' पर ज़ोर दिया है। गांव के सभी घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित के प्रयास वाला जल जीवन मिशन इस सिद्धांत के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। 2022 में, जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न मनाएगा, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सभी घरों को नल के सुरक्षित पानी की आपूर्ति का विज़न हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में सच हो जाएगा। राष्ट्र द्वारा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' का जश्न मनाने वाले साल में इस क्षेत्र की लाखों महिलाओं और लड़कियों को यह बेहतरीन उपहार होगा।

आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक 100 दिवसीय अभियान की घोषणा की थी जिसे 2 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया द्वारा लांच किया गया। उत्तर–पश्चिम भारत में तीनों राज्य– हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए हैं। आशा है कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख भी इस लक्ष्य को जल्द ही पूरा कर लेंगे। ❑

मिशन बीसी सखी : हर घर तक बैंक सुविधा

–अभिषेक आनंद

बैंकिंग सेवा को घर–घर पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस एजेंट की अवधारणा को लाया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से एक तरफ जहां ग्रामीण परिवार की निर्धन महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संगठित करने का कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर, उनको बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस सखी (बीसी सखी) के रूप में ग्राम पंचायतों में तैनात करके उनकी आजीविका में भी योगदान किया जा रहा है।

आधुनिक विश्व के निर्माण में निरंतर बदलती तकनीकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। वित्तीय लेनदेन के लिए बैंक में लगने वाली लंबी–लंबी लाइन को जहां एटीएम ने आकर कम कर दिया तो वहीं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लोग अब घर बैठे लेनदेन कर रहे हैं। इन सुविधाओं ने आज हमारा जीवन काफी सहज एवं सरल बना दिया है। मानव संसाधन की भारी कमी से जूझ रहे भारतीय बैंकों के लिए तो ये एक वरदान साबित हो रहा है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा तबका डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर रहा है और बैंक की भीड़ को कम करने में कुछ तो योगदान ज़रूर कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग का लाभ कहीं–न–कहीं देश के एक शिक्षित तबके तक ही सीमित रह जाता है जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांवों में रहता है और साक्षर नहीं है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना वर्तमान में संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। हां, ये बात ज़रूर है कि आज देश में युवाओं का आकर्षण इस ओर काफी बढ़ चुका है और उसका मुख्य कारण नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई जैसी सेवाओं का सहजता से उपलब्ध होना है।

आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे तेज़ी से विकास कर रहे देशों में होती है लेकिन कोई भी विकास तब तक अधूरा है, जब तक उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक न पहुंच जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग तक वित्तीय सुविधा पहुंचाने हेतु सरकार निरंतर नए कदम उठा रही है। बैंकिंग सेवा को घर–घर पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस एजेंट की अवधारणा को लाया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से एक तरफ जहां ग्रामीण परिवार की निर्धन महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संगठित करने का कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर, उनको बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस सखी (बीसी सखी) के रूप में ग्राम पंचायतों में तैनात करके उनकी आजीविका में भी योगदान किया जा रहा है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में बीसी सखी का प्रशिक्षण लेती स्वयंसहायता समूह की सदस्य

मिशन वन जीपी वन बीसी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिशन वन जीपी वन बीसी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयंसहायता समूह की महिला को बीसी सखी के रूप में पदस्थापित करना है। ये महिला उक्त ग्राम पंचायत में बीसी सखी के रूप में अपनी सेवा देगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन–देन को बढ़ावा मिलेगा और बैंक में लगने वाली लंबी लाइनों से भी आम जनता को राहत मिलेगी।

बीसी सखी का उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसहायता समूहों एवं बैंकों के मध्य एक संपर्क–सूत्र स्थापित करना है। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वियत योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को बैंक के स्थान पर बीसी सखी के माध्यम से मिल सके, इसलिए यह 'बैंक जनता के द्वार' की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण परिवारों एवं स्वयंसहायता समूहों में डिजिटल लेनदेन बढ़ाने का तथा वंचित परिवारों के वित्तीय समावेशन के लिए यह एक सशक्त माध्यम होगा।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं–

- बिज़नेस कोरेस्पोंडेंस का विस्तार हर गांव तक किया जा सके;
- स्वयंसहायता समूहों के बीच वित्तीय लेनदेन को बढ़ाया जा सके;
- स्वयंसहायता समूह के साथ–साथ उनके उच्च संगठन यथा ग्राम संगठन, संकुल–स्तरीय संघ, उत्पादक समूह आदि में डिजिटल प्लेटफार्म पर लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके।
- एसएचजी सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा उत्पाद को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को कम करना।
- स्वयंसहायता समूह के सदस्यों को बीसी सखी के रूप में प्रोत्साहित करके उनके लिए आजीविका का एक साधन उपलब्ध करवाना।

चयन, प्रशिक्षण तथा सर्टिफिकेशन

बीसी सखी के रूप में कार्य करने हेतु स्वयंसहायता समूह की महिलाओं को कम–से–कम दसवीं पास होना आवश्यक होता है। यह प्रयास किया जाता है कि संबंधित महिला पहले से ही स्वयंसहायता समूह हेतु एक कैडर का कार्य कर रही हो। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखा जाता है कि महिला बैंक की डिफाल्टर न हो तथा एंड्राइड मोबाइल चलाना आता हो। अभ्यर्थी का ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संसथान (आर–सेटी) के माध्यम से 6–8 दिन का प्रशिक्षण करवाया जाता है।

प्रशिक्षण के उपरांत भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है तथा सफल होने पर स्वयंसहायता समूह की सदस्य को प्रमाणपत्र दिया जाता है। चयनित बीसी सखी को कंप्यूटर तथा अन्य ज़रूरी उपकरण की खरीदारी करने हेतु 75,000 रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। प्रारंभिक दौर में बीसी सखी को छह माह तक सहयोग राशि के रूप में प्रति माह चार हजार रुपये का भुगतान संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो पूरे प्रदेश में एक साथ 58000 बीसी सखी को ग्राम पंचायतों में स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। बिहार सरकार भी जीविका के माध्यम से इस मिशन पर अच्छा कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब बिहार में बीसी सखियों द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। जब पूरे देश के लोग लॉकडाउन में अपने–अपने घर में थे तब ये बीसी सखी घर–घर बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहीं थीं। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी बीसी सखी योजना पर कार्य कर रहा है।

(लेखक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला मिशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।)

ई–मेल : **abhishekaami@gmail.com**

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

अगस्त, 2021 – भारत : कृषि का पॉवरहाउस

शीघ्र प्रकाशित

ग्रामीण मार्केटिंग

MIT-WPU

Dr. Vishwanath Karad
MIT WORLD PEACE UNIVERSITY | PUNE
TECHNOLOGY, RESEARCH, SOCIAL INNOVATION & PARTNERSHIPS

Four Decades of Legacy and a Century Ahead

3rd
Best Private University To Study In India (INDIA TODAY 2018)

10th
Best B School in India (Jagran Josh, B School ranking 2020)

2nd
Top Private Engineering Institutes in West Zone (TOI 2020)

5th
Best Institute with Research Capability in India (TOI 2020)

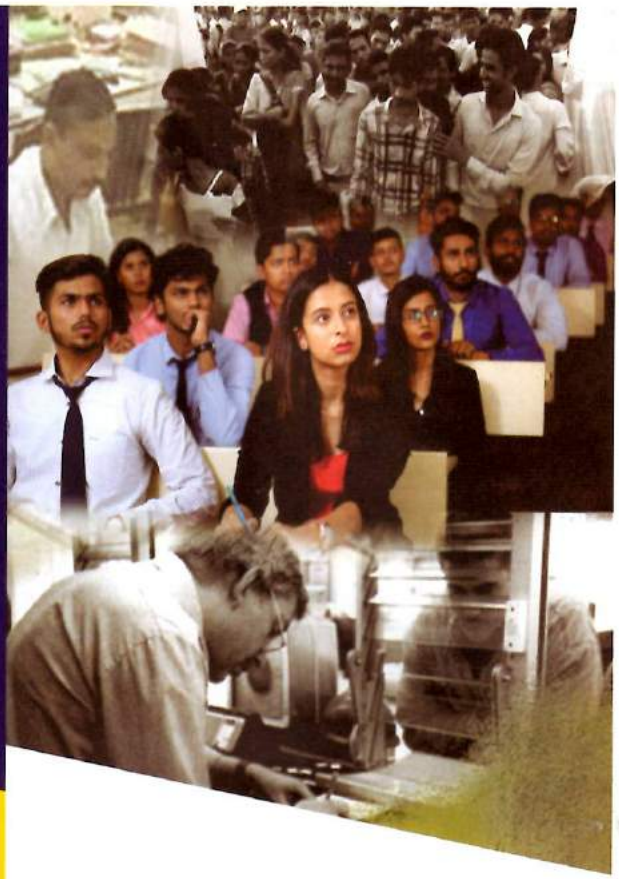

ADMISSIONS OPEN
2021-22
BA HONS
GOVERNMENT & ADMINISTRATION

Be an Impactful Policy Maker

Avail Merit Based Scholarships
Candidates would be eligible for scholarships as per the MIT-WPU's Scholarship Policy.

Key Highlights of the Program:
- A tailor made program to improve readiness for various competitive examinations.
- Imparts necessary knowledge, skills and develop a positive attitude to blend your future.
- Delivered & Mentored by eminent pra-cademicians, UPSC Rank holders, Civil servants & the members of political fraternity.
- Blend of interactive learning methods with classroom teaching and Experiential learning.

Career Opportunities:
■ UPSC Examinations- Civil Services, CRPF, EFPO Etc. ■ State Service Commission Exams-MPSC, RJSC, UPPSC ■ Banking and Staff Selection Commission Exams-RBI, PSU Banks, NABARD etc. ■ Defence Examinations- Combined Defence services, SSB etc. ■ NGO and Think Tanks-Multi lateral Organisations, NGOs Fellowship programs etc. ... and many more...

Apply Online mitwpu.edu.in | Kothrud, Pune 38
admissions@mitwpu.edu.in 020 7117 7137 / 42 9881492848

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

रोज़गार समाचार
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोज़गार समाचार	
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050

सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र **नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी।** पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर **'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय'** के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए। रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलान भुगतान के लिए https://eneversion.nic.in/membership/login लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए। अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे। भेजने का पता है-

संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें – **फोन: 011-24367453,** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत ..... पत्रिका ..... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) .....

पता : .....

..... जिला ..... पिन .....

ईमेल ..... मोबाइल नं. .....

डीडी/पीओ/एमओ सं. ..... दिनांक ..... सदस्यता सं. .....

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23
01 जुलाई, 2021 को प्रकाशित एवं 5-6 जुलाई, 2021 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

अब उपलब्ध है...

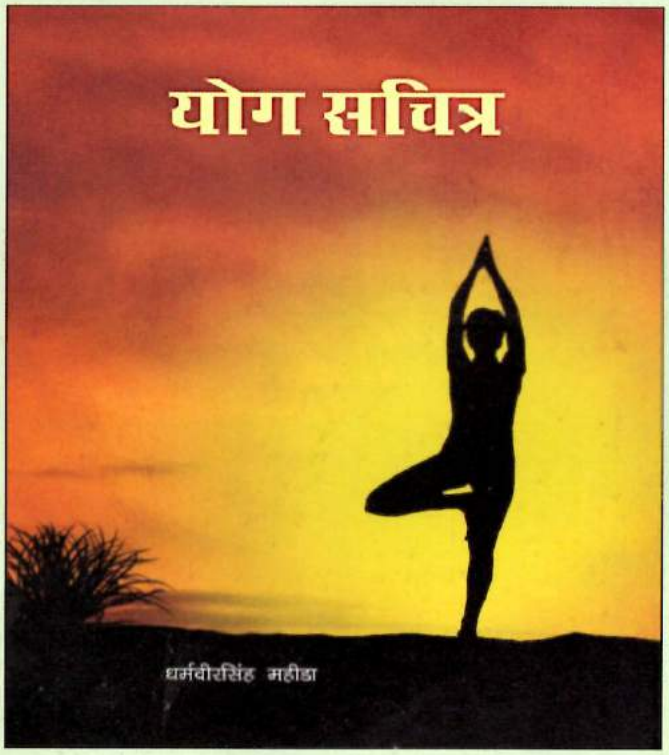

योग सचित्र

मूल्य - ₹ 355/-

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609
ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना